



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2019/श्रावण 2, 1941

No. 217]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2019/SHRAVANA 2, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2019

सं. 1(4)/2019-एस.पी.-1.—केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों के गन्ना देयों के भुगतान को सुगम बनाने के उद्देश्य से अधिसूचना सं. 1(4)/2019-एस.पी.-1 दिनांक 02.03.2019 द्वारा चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करने हेतु स्कीम अधिसूचित की थी, जिसमें तत्पश्चात् दिनांक 13.03.2019 और 03.06.2019 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था।

2. अब दिनांक 02.03.2019 की उक्त अधिसूचना के पैरा 6 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिसूचना का पैरा 2 (x) निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

पैरा 2 (x): ऋण देने वाली बैंकों द्वारा इस अधिसूचना के अनुसरण में वे सभी ऋण जो 31 जुलाई, 2019 तक स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 31 अगस्त, 2019 तक संवितरित किए गए हैं, ब्याज छूट स्कीम के तहत कवर किए जाएंगे।

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

---

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2019

**No. 1(4)/2019-SP-I.**—The Central Government, with a view to facilitate payment of cane dues of the farmers for the current sugar season 2018-19 has notified the Scheme for extending soft loan to sugar mills vide notification No. 1(4)/2019-SP-I dated 02.03.2019, which was subsequently amended vide notifications dated 13.03.2019 and 03.06.2019.

2. Now, in pursuance of para 6 of the said notification dated 02.03.2019, Central Government has decided that Para 2(x) of the notification may be read as under:-

Para 2 (x): “All loans which are sanctioned by 31<sup>st</sup> July, 2019 and disbursed by 31<sup>st</sup> August, 2019 by the lending banks, pursuant to this notification, would be covered under the interest subvention scheme”.

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.